



व्यापार की

योजना

पर

आय सृजन गतिविधि

खाद्य प्रसंस्करण – अचार बनाना

के लिए

स्वयं सहायता समूह - जय माँ आशापुरी



एसएचजी/सीआईजी नाम
वीएफडीएस नाम
रेंज
मंडल

जय माँ आशापुरी
गंगोटी
लड भरोल
जोगिंदर नगर

के तहत तैयार-

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना (जेआईसीए सहायता प्राप्त)

विषयसूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक.
1.	परिचय	3
2.	विवरणएसएचजी/सीआईजी का	4
3.	लाभार्थियोंविवरण	5
4.	भौगोलिकगांव का विवरण	6
5.	बाजार की संभावना	6
6.	कार्यकारिणीसारांश	6
7.	डीआय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	7
8.	उत्पादनप्रक्रियाओं	7
9.	अचार बनाने का व्यवसाय अनुपालन	8
10.	उत्पादनयोजना	8
11.	बिक्रीऔर मार्केटिंग	8-9
12.	स्वोटविश्लेषण	9
13.	विवरणसदस्यों के बीच प्रबंधन का	10
14.	विवरणअर्थशास्त्र का	10-11
15.	एआय और व्यय का विश्लेषण	11
16.	फंड प्रवाह व्यवस्था	12
17.	सूत्रों का कहना हैनिधि का	12
18.	प्रशिक्षण/क्षमताभवन निर्माण/कौशल उन्नयन	13
19.	गणनासम-विच्छेद बिंदु का	13
20.	किनाराकर्ज का भुगतान	13
21.	निगरानीतरीका	13
22.	टिप्पणी	13
23.	समूह फोटो	14
24.	अनुमोदन	15-16

1. परिचय-

साधारण नमक, सिरका, तेल या खट्टे फलों के रस में संरक्षित फलों और सब्जियों को अचार कहा जाता है। अचार आमतौर पर सब्जियों और फलों के मिश्रण से बनाया जाता है। इन्हें खाने के साथ एक स्वादिष्ट, मसालेदार संगत के रूप में खाया जाता है। अचार बनाने के लिए फलों या सब्जियों को नमकीन पानी या सिरके के घोल में डुबोया जाता है और कुछ समय के लिए संग्रहीत किया जाता है, जिसके दौरान सामग्री अचार बनाने की प्रक्रिया से गुजरती है और वांछित स्वाद प्राप्त करती है। अचार आमतौर पर स्वाद में मीठा या खट्टा होता है और अक्सर मसालेदार होता है। वे मुख्य सामग्री का स्वाद लेते हैं जो कि वह सब्जी या फल है जिससे अचार बनाया जाता है। अचार के लिए मुख्य रूप से आम, नींबू, गाजर, करेला, बीन्स, मिर्च, लहसुन, अदरक, बैंगन और प्याज का प्रसंस्करण किया जाता है।

अचार बनाने के व्यवसाय का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि इसे समूह की वित्तीय क्षमता के अनुसार शुरू किया जा सकता है और बाद में जब भी SHG का वित्तीय पोर्टफोलियो बेहतर हो जाए, तो व्यवसाय को किसी भी स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार जब उत्पाद ग्राहकों को पसंद आ जाता है तो व्यवसाय बहुत तेजी से आगे बढ़ता है।

इस IGA (आय सृजन गतिविधि) में शामिल होने से पहले बाजार की संभावनाओं और विभिन्न पहलुओं पर बहुत सावधानी से चर्चा करने के बाद, जय माँ आशापुरी SHG समूह ने सामूहिक रूप से अचार बनाने को अपनी आय सृजन गतिविधि (IGA) के रूप में चुनने का फैसला किया है। जय माँ आशापुरी SHG का गठन हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना (JICA सहायता प्राप्त) के तहत किया गया है, जो VFDS गंगोटी के अंतर्गत आता है। इस SHG में 8 महिलाएँ हैं। इन महिलाओं को पहले से ही अचार बनाने का अनुभव था और अब इस परियोजना के वित्तपोषण, प्रशिक्षण और सहायता की मदद से, वे बड़े पैमाने पर अचार का निर्माण करने में सक्षम होंगी और आत्मनिर्भर बनकर आय उत्पन्न करेंगी। इसलिए SHG ने अपनी निवेश क्षमता, विपणन और प्रचार रणनीति के अनुसार एक विस्तृत व्यवसाय योजना तैयार की है और विस्तृत कार्य योजना पर नीचे चर्चा की जाएगी:

2. एसएचजी/सीआईजी का विवरण

1.	एसएचजी/सीआईजी नाम	जय माँ आशापुरी
2.	वीएफडीएस	गंगोटी
3.	रेंज	लाड भरोल
4.	मंडल	जोगिन्द्रनगर
5.	गाँव	गंगोटी
6.	ब्लॉक ऑफिस	पंडोल
7.	ज़िला	मंडी
8.	एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	8
9.	गठन की तिथि	27-09-2022
10.	बैंक खाता सं.	31510114277
11.	बैंक विवरण	एचपीएससी बैंक लाड भरोल
12.	एसएचजी/सीआईजी मासिक बचत	100
13.	कुल बचत	3500
14.	कुल अंतर ऋण	-
15.	नकद क्रेडिट सीमा	-
16.	पुनर्भुगतान स्थिति	-

3. लाभार्थियों का विवरण

क्रमांक	स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का नाम	पद का नाम	एम/एफ	वर्ग	आय स्रोत	फोटो
1.	लता देवी पत्नी देवानंद, ग्रामा गंगोटी डाकघर गंगोटी तह लड़ भडोल जिला। मंडी (हिमाचल प्रदेश) मोबाइल नं.: - 9817268625	अध्यक्ष	एफ	जनरल	कृषि	
2.	सोनू देवी पत्नी सुभाष चंद, गांवा गंगोटी डाकघर गंगोटी तह लड़ भडोल जिला। मंडी (हिमाचल प्रदेश) मोबाइल नं.: - 7807205520	सचिव	एफ	जनरल	कृषि	
3.	अंजना देवी पत्नी सुरेंद्र कुमार, गांवा गंगोटी डाकघर गंगोटी तह लड़ भडोल जिला। मंडी (हिमाचल प्रदेश) मो.नं.: - 88278745669	सदस्य	एफ	जनरल	कृषि	
4.	सोनू बाला पत्नी इंदर पाल, गांवा गंगोटी डाकघर गंगोटी तह लड़ भडोल जिला। मंडी (हिमाचल प्रदेश) मो.नं.: - 8580471345	सदस्य	एफ	जनरल	कृषि	
5.	सुनीता देवी पत्नी प्रिंस कुमार, गांवा गंगोटी डाकघर गंगोटी तह लड़ भडोल जिला। मंडी (हिमाचल प्रदेश) मो.नं.: - 8219425863	सदस्य	एफ	जनरल	कृषि	
6.	पानो देवी पत्नी राम चंद, गांवा गंगोटी डाकघर गंगोटी तह लड़ भडोल जिला। मंडी (हिमाचल प्रदेश) मो.नं.: - 9625554999	सदस्य	एफ	जनरल	कृषि	
7.	रितु देवी पत्नी जीतेन्द्र कुमार, ग्रामा गंगोटी डाकघर गंगोटी तह लड़ भडोल जिला। मंडी (हिमाचल प्रदेश) मो.नं.: - 8580702815	सदस्य	एफ	जनरल	कृषि	
8.	फूला देवी पत्नी लेख राज गांवा गंगोटी पीओ गंगोटी तह लड़ भडोल जिला। मंडी (हिमाचल प्रदेश) मो.नं.: - 8351857264	सदस्य	एफ	जनरल	कृषि	

4. गांव का भौगोलिक विवरण

1	ज़िला मुख्यालय से दूरी	77 किमी.
2	मुख्य सड़क से दूरी	2 किमी.
3	स्थानीय बाजार का नाम एवं दूरी	चौतड़ा- 12 कि.मी. जोगिंदर नगर-34 किमी, मंडी-77 किमी।
4	मुख्य बाजार का नाम एवं दूरी	जोगिंदरनगर =34 मंडी =77 किमी.
5	मुख्य शहरों के नाम एवं दूरी	◇ मंडी-77 किमी ◇ जोगिन्द्रनगर - 34 किमी ◇ पालमपुर - 40 किमी ◇ बैजनाथ - 23 किमी
6	मुख्य शहरों का नाम जहां उत्पाद बेचा/विपणन किया जाएगा	◇ मंडी ◇ जोगिन्द्रनगर ◇ पालमपुर ◇ बैजनाथ

5. बाजार की संभावनाएं-

घरेलू और निर्यात दोनों ही बाजारों में अचार का बाजार लगातार बढ़ रहा है। अचार की लोकप्रिय किस्में हैं आम का अचार, नींबू का अचार, मिक्स वेजिटेबल, लाल मिर्च का अचार आदि। अदरक, लहसुन मशरूम के अचार ने भी हाल के वर्षों में लोकप्रियता हासिल की है। अचार बाजार में आने वाले सबसे शुरुआती व्यावसायिक उत्पादों में से एक है जो फलों और सब्जियों के परिरक्षण का उत्पाद है। बाजार में अचार के कई ब्रांड उपलब्ध हैं, फिर भी नए ब्रांड और स्वादिष्टता के लिए अच्छे पैमाने मौजूद हैं।

6. कार्यकारी सारांश-


इस स्वयं सहायता समूह द्वारा खाद्य प्रसंस्करण (अचार बनाना) आय सृजन गतिविधि का चयन किया गया है। यह IGA इस स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाओं द्वारा किया जाएगा। यह व्यवसायिक गतिविधि समूह के सदस्यों द्वारा सालाना की जाएगी। अचार बनाने की प्रक्रिया में लगभग 3-7 दिन लगते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में सब्जियों को धोना, काटना, नमकीन पानी डालना, नमक निकालना, प्रजाति, तेल डालना और परिरक्षक डालना और अंत में पैकिंग जैसी प्रक्रियाएँ शामिल हैं। शुरुआत में समूह एक प्रकार का अचार बनाएगा लेकिन भविष्य में समूह अचार की किस्मों को बढ़ाते हुए अन्य अचार उत्पाद बनाएगा जो उसी प्रक्रिया का पालन करते हैं। उत्पाद को शुरु में समूह द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से खुदरा विक्रेताओं और पास के बाजार के थोक विक्रेताओं के माध्यम से बेचा जाएगा।

7. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण-

1	उत्पाद का नाम	अचार बनाना
2	उत्पाद पहचान की विधि	समूह के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है
3	एसएचजी/सीआईजी/क्लस्टर सदस्यों की सहमति	हाँ

8. उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण-

Flow Sheet for the Preparation of Pickles



9. अचार बनाने का व्यवसाय अनुपालन -

अचार एक खाद्य पदार्थ है इसलिए राज्य सरकार के अलग-अलग नियमों का पालन करना होगा। चूंकि IGA को शुरू में छोटे पैमाने पर शुरू किया जा रहा है, इसलिए इन कानूनी मुद्दों को स्थानीय अधिकारियों से खाद्य हैंडलिंग लाइसेंस प्राप्त करके

SHG सदस्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर संबोधित किया जाएगा। व्यवसाय घर से संचालित किया जा रहा है इसलिए स्वरोजगार समूहों के लिए कर नियमों का नियमों के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।

10. उत्पादन योजना -

1	अचार बनाने का उत्पादन चक्र (दिनों में)	3-7 दिन
2	प्रति चक्र आवश्यक मानव शक्ति (संख्या में)	सभी महिलाएं
3	कच्चे माल का स्रोत	स्थानीय बाजार/मुख्य बाजार
4	अन्य संसाधनों का स्रोत	स्थानीय बाजार/मुख्य बाजार
5	प्रति माह आवश्यक मात्रा (किग्रा)	700 किलोग्राम
6	प्रति माह अपेक्षित उत्पादन (किग्रा)	700 किलोग्राम

मांगकच्चे माल और अपेक्षित उत्पादन की मात्रा:

क्रमांक	कच्चा माल	इकाई	समय	मात्रा (लगभग)	मात्रा प्रति किलोग्राम (रु. में)	कुल राशि	अपेक्षित उत्पादन प्रति माह (किग्रा)
1	सब्जियाँ और फल	किलो ग्राम	महीने के	500	50	25,000	700

11. बिक्री एवं विपणन का विवरण -

1	संभावित बाजार स्थान	मंडी, जोगिंदर नगर, पालमपुर, बैजनाथ
2	इकाई से दूरी	<ul style="list-style-type: none"> ◇ मंडी-77 किमी ◇ जोगिन्द्रनगर - 34 किमी ◇ पालमपुर - 40 किमी ◇ बैजनाथ - 23 किमी
3	उत्पादन बाजार/स्थानों की मांग	दैनिक मांग
4	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	समूह के सदस्य अपनी उत्पादन क्षमता और बाजार की मांग के अनुसार खुदरा या थोक विक्रेता की सूची का चयन करेंगे। प्रारंभ में उत्पाद को नजदीकी बाजारों में बेचा जाएगा।
5	उत्पाद की विपणन रणनीति	स्वयं सहायता समूह के सदस्य सीधे गांव की दुकानों और निर्माण स्थल/दुकान से अपना उत्पाद बेचेंगे। इसके अलावा, खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेताओं के माध्यम से भी नजदीकी बाजारों में उत्पाद बेचे जाएंगे। शुरुआत में उत्पाद 5 और 1 किलोग्राम की पैकेजिंग में बेचे जाएंगे।

6	उत्पाद ब्रांडिंग	सीआईजी/एसएचजी स्तर पर उत्पाद का विपणन सीआईजी/एसएचजी ब्रांडिंग द्वारा किया जाएगा। बाद में इस आईजीए को क्लस्टर स्तर पर ब्रांडिंग की आवश्यकता हो सकती है
7	उत्पाद “नारा”	“आशापुरी- अचार”

12. SWOT विश्लेषण-

❖ ताकत-

- ❖ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है।
- ❖ विनिर्माण प्रक्रिया सरल है।
- ❖ उचित पैकिंग और परिवहन में आसान।
- ❖ उत्पाद का शेल्फ जीवन लंबा है।
- ❖ घर का बना, कम लागत।

❖ कमजोरी-

- ❖ विनिर्माण प्रक्रिया/उत्पाद पर तापमान, आर्द्रता, नमी का प्रभाव।
- ❖ अत्यधिक श्रम गहन कार्य।
- ❖ अन्य पुराने और प्रसिद्ध उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करें।

❖ अवसर-

- ❖ इसमें लाभ के अच्छे अवसर हैं क्योंकि उत्पाद की लागत अन्य समान श्रेणी के उत्पादों की तुलना में कम है।
- ❖ दुकानों, फास्ट फूड स्टालों, खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, कैटीन, रेस्तरां, शेफ और रसोइयों, गृहिणियों में उच्च मांग।
- ❖ बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ विस्तार की संभावनाएं हैं।
- ❖ दैनिक खपत और सभी मौसमों में सभी खरीदारों द्वारा खपत।

❖ खतरे/जोखिम-

- ❖ विनिर्माण एवं पैकेजिंग के समय तापमान एवं नमी का प्रभाव, विशेषकर सर्दियों एवं बरसात के मौसम में।
- ❖ कच्चे माल की कीमत में अचानक वृद्धि।
- ❖ प्रतिस्पर्धी बाजार।

13. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण-

आपसी सहमति से स्वयं सहायता समूह के सदस्य कार्य को पूरा करने के लिए अपनी भूमिका और जिम्मेदारी तय करेंगे। सदस्यों के बीच उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य का बंटवारा किया जाएगा।

- ❖ कुछ समूह सदस्य पूर्व-उत्पादन प्रक्रिया (अर्थात कच्चे माल की खरीद आदि) में शामिल होंगे।
- ❖ कुछ समूह सदस्य उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होंगे।
- ❖ समूह के कुछ सदस्य पैकेजिंग और विपणन में शामिल होंगे।

14. अर्थशास्त्र का विवरण -

ए. पूंजीगत लागत				
क्र. सं.	विवरण	मात्रा	यूनिट मूल्य	राशि (रु.)
1	ग्राइंडर मशीन	1	20,000	20,000
2	मिक्सर	2	4,000	8,000
3	सब्जी निर्जलीकरण यंत्र	1	40,000	40,000
4	तैयार उत्पाद रैक/अलमारी	1	8,000	8,000
5	तोलनयंत्र	1	1000	1,000
6	रसोईघर के उपकरण		रास	15,000
7	हाथ से संचालित जार सीलिंग मशीन	1	15,000	15,000
8	एप्रन, दस्ताने, टोपी आदि		रास	5,000
कुल पूंजी लागत (ए) = रु 1,12,000				

बी. आवर्ती लागत					
क्र. सं.	विवरण	इकाई	मात्रा	यूनिट मूल्य	कुल राशि (रु.)
1	कच्चा माल	महीना	400 किलोग्राम	50	20,000
2	कच्चा माल मसाला	महीना	200 किग्रा	150	30,000
3	पैकेजिंग सामग्री	महीना	रास	5,000	5,000
4	परिवहन	महीना	1	2,000	2,000
5	अन्य (स्टेशनरी, बिजली बिल आदि)	महीना	1	2,000	2,000
कुल आवर्ती लागत (बी) = 59,000					

नोट – समूह के सदस्य स्वयं कार्य करेंगे, इसलिए श्रम लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। शामिल किया गया है और सदस्य आपस में कार्यसूची का प्रबंधन करेंगे पालन किया।

सी. उत्पादन की लागत		
क्र. सं.	विवरण	मात्रा
1	कुल आवर्ती लागत	59,000
2	पूंजीगत लागत पर 10% वार्षिक मूल्य हास (1,12,000)	11,200
कुल = 70,200		

डी. विक्रय मूल्य गणना			
क्र. सं.	विवरण	इकाई	मात्रा
1	उत्पादन की लागत	किलोग्राम	120
2	वर्तमान बाजार मूल्य	किलोग्राम	150-300
3	अपेक्षित विक्रय मूल्य	रुपये	200

ई. अचार की बिक्री से औसत मासिक आय				
क्र. सं.	विवरण	मात्रा	लागत (रु.)	मात्रा
1	अचार की बिक्री	600 किलोग्राम	200 प्रति किलोग्राम	1,20,000

15. लागत लाभ विश्लेषण (मासिक)

लागत लाभ विश्लेषण (मासिक)		
क्र. सं.	विवरण	मात्रा
1	कुल आवर्ती लागत	59,000
2	कुल बिक्री राशि	1,20,000
3	शुद्ध लाभ (बिक्री राशि - आवर्ती लागत)	61,000
4	शुद्ध लाभ का वितरण	<input type="checkbox"/> लाभ को मासिक/वार्षिक आधार पर सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। <input type="checkbox"/> लाभ का उपयोग आवर्ती लागत को पूरा करने के लिए किया जाएगा। <input type="checkbox"/> लाभ का उपयोग आईजीए में आगे निवेश के लिए किया जाएगा

16. स्वयं सहायता समूह में निधि प्रवाह व्यवस्था -

क्र. सं.	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना योगदान	एसएचजी योगदान
1	कुल पूंजी लागत	1,12,000	84,000	28,000
2	कुल आवर्ती लागत	59,000	-	59,000
3	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	50,000	50,000	-
कुल		2,21,000	1,34,000	87,000

टिप्पणी:

- i) पूंजीगत लागत- 50% पूंजीगत लागत परियोजना द्वारा तथा 50% स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी।
- ii) आवर्ती लागत - स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी।
- iii) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा।

17. निधि के स्रोत -

परियोजना समर्थन	<ul style="list-style-type: none">◇ यदि सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीब महिला वर्ग से हैं तो परियोजना द्वारा पूंजी लागत का 75% वहन किया जाएगा। यदि सदस्य सामान्य वर्ग से हैं तो परियोजना द्वारा पूंजी लागत का 50% वहन किया जाएगा।◇ स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में 1 लाख रुपए तक की धनराशि जमा की जाएगी।◇ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत।◇ 5% ब्याज दर की सब्सिडी सीधे डीएमयू द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी और यह सुविधा केवल तीन वर्षों के लिए होगी। स्वयं सहायता समूहों को नियमित आधार पर मूलधन की किश्तों का भुगतान करना होगा।	खरीद मशीनों/उपकरणों का आवंटन सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा किया जाएगा।
एसएचजी योगदान	<ul style="list-style-type: none">◇ सामान्य श्रेणी और अन्य श्रेणियों के लिए पूंजीगत लागत का 50% या 25% क्रमशः स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा।◇ आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी।	

18. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन -

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।
निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- ◇ कच्चे माल की लागत प्रभावी खरीद
- ◇ गुणवत्ता नियंत्रण
- ◇ पैकेजिंग और विपणन
- ◇ वित्तीय प्रबंधन

19. ब्रेक-ईवन बिंदु की गणना -

$$= \text{पूंजीगत व्यय} / [\text{विक्रय मूल्य (प्रति किग्रा)} - \text{उत्पादन लागत (प्रति किग्रा)}]$$
$$= 1,12,000 / (200-120)$$

= 1400 किग्रा

इस प्रक्रिया में 1400 किलोग्राम अचार बेचने के बाद लाभ-हानि की स्थिति प्राप्त हो जाएगी।

20. बैंक ऋण चुकौती-

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; तथापि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद सीसीएल के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।

- ✧ सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूल ऋण का भुगतान वर्ष में एक बार बैंकों को किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- ✧ सावधि ऋणों में, पुनर्भुगतान बैंकों में निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए।
- ✧ परियोजना सहायता - 5% ब्याज दर की सब्सिडी सीधे डीएमयू द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी तथा यह सुविधा केवल तीन वर्षों के लिए होगी। एसएचजी/सीआईजी को नियमित आधार पर मूलधन की किरतों का भुगतान करना होगा।

21. निगरानी विधि-

- ❖ वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और निष्पादन की निगरानी करेगी तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होने पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।
- ❖ स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक सदस्य की आईजीए की प्रगति और निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए।

निगरानी के लिए कुछ प्रमुख संकेतक इस प्रकार हैं:

- ✧ समूह का आकार
- ✧ निधि प्रबंधन
- ✧ निवेश
- ✧ आय पीढ़ी
- ✧ उत्पाद की गुणवत्ता

22. टिप्पणी

समूह में सभी महिला सदस्य हैं जो निम्न आय वर्ग से संबंधित हैं और वे 25% योगदान दे सकती हैं तथा परियोजना को शेष 75% वहन करना होगा।

23.समूह फोटो :



24. संकल्प-सह-समूह-सहमति प्रपत्र:

Resolution-cum-Group-consensus Form

It is decided in the General house meeting of the group Jai Mata Ashapuri held on 27.09.2022 at Gangoti that our group will undertake the Pickle making as Livelihood Income Generation Activity under the Project for Implementation of Himachal Pradesh Forest Ecosystem management and Livelihood (JICA assisted).

Lata Devi
Signature of group President

Sonjari
Signature of group secretary

[Signature]
Signature of President VEDS

Village Forest Development Society
VIII. Forest Department
Gangoti, G. P. D. U.
Distt. Mandi (H.P.)

25. व्यवसाय योजना अनुमोदन

